



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267832
CG-DL-E-19112025-267832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5098]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5098]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5268(अ).—रेलवे अधिनियम - 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

क्रमांक	सक्षम अधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उप मंडल मजिस्ट्रेट, राजपुरा	पटियाला	पंजाब	“राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन (18.11 कि०मी०) उत्तर रेलवे” के निर्माण हेतु जिला पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भूमि का अधिग्रहण।
2	उप मंडल मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब	फतेहगढ़ साहिब		
3	उप मंडल मजिस्ट्रेट, बस्सी पठाना	फतेहगढ़ साहिब		
4	उप मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली	साहिबजादा अजीत सिंह नगर		

5	उप मंडल मजिस्ट्रेट, बनूड़	साहिबजादा अजीत सिंह नगर		
---	---------------------------	-------------------------------	--	--

[फा. सं.190-W/Land/UMB/Rajpura-Mohali]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5268(E).—In exercise of the power conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the **“Competent Authority for Land Acquisition (CALA)”** in respect of Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District (3) and the state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Sub-Divisional Magistrate Rajpura	Patiala	Punjab	Construction of “Rajpura-Mohali New Rail Line (18.11 Km.) of Northern Railway” for acquisition of land in Districts Patiala, Fatehgarh Sahib and Sahibzada Ajit Singh Nagar.
2	Sub-Divisional Magistrate Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib		
3	Sub-Divisional Magistrate Bassi Pathana	Fatehgarh Sahib		
4	Sub-Divisional Magistrate Mohali	Sahibzada Ajit Singh Nagar		
5	Sub-Divisional Magistrate Banur	Sahibzada Ajit Singh Nagar		

[F. No. 190-W/Land/UMB/Rajpura-Mohali]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5269(अ).—रेलवे अधिनियम-1989 (2008 में संशोधित) की धारा 20-एफ के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में आर्बीट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें।

क्रमांक	आर्बीट्रेटर	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उप आयुक्त, पटियाला	पटियाला	पंजाब	“राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन (18.11 कि०मी०) उत्तर रेलवे” के निर्माण हेतु जिला पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भूमि का अधिग्रहण।
2	उप आयुक्त, फतेहगढ़ साहिब	फतेहगढ़ साहिब		
3	उप आयुक्त, साहिबजादा अजीत सिंह नगर	साहिबजादा अजीत सिंह नगर		

[फा. सं.190-W/Land/UMB/Rajpura-Mohali]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5269(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the "**Arbitrator**" in respect of 'Railway Project' as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District(3) and state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Arbitrator	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Deputy Commissioner Patiala	Patiala	Punjab	Construction of "Rajpura-Mohali New Rail Line (18.11 Km.) of Northern Railway" for acquisition of land in Districts Patiala, Fatehgarh Sahib and Sahibzada Ajit Singh Nagar.
2	Deputy Commissioner Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib		
3	Deputy Commissioner Sahibzada Ajit Singh Nagar	Sahibzada Ajit Singh Nagar		

[F. No. 190-W/Land/UMB/Rajpura-Mohali]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.